

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता पुष्टि/अन्य हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के गद-17 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नज्ज निर्णय लिया गया :-

“ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कारन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।”

अतः निम्नानुसार संबन्धित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

डि० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2122	जॉरस इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट लखनऊ-बीजाबाद रोड प०- मुहम्मदपुर चौकी प० अफिल सफेदाबाद, बाराबंकी-225003	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इर्जेंट पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/-

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय द्वाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/फार्मली काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरिय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्जी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आसूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 20 20 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नवत् शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उचित अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2122	ओरिस इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ, कैंजलुड रोड, खाना 90-160, सिनेमा-मोहम्मदपुर पीसी, 90- एकेडमिक, एलएबी।	डिप्लोमा इन फार्मली	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एचए 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय इली० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही कायदेक प्राय/सत्र

/s/

कराँतप.

उच्च. प्राविधिक शिक्षा परिषद.

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधिकपरिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कराँतप द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय लोक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक मंत्र 2021-22 हेतु विनोदा राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विनाश प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा मंत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विनाश/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता पुष्टि बतौर जप बतौर का विनाश करने हेतु मंत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विनाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा मंत्र 2021-22 हेतु सिलेबिज तर्जों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उसने अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विनाश प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2122-AUROUS INSTITUTE OF MANAGEMENT,LUCKNOW-FAIZABAD ROAD,KHASRA NO-180,VILL-MOHAMMADPUR CHOWKI POST-SAFEDABAD,BARABANKI-225003

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/बी०सी०आई० द्वारा परिषद द्वारा मंत्र 2021-22 मंत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60 60

सम्बद्धता हेतु तर्जें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/बी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी तर्जों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इमीड पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से ग्रहण किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त साक्षरताओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनव्यवस्था क्रमवती होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि मंत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीकरण टॉ लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितिवा तथा उप-समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय शासनव्यवस्था के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/बी०सी०आई० से आगामी मंत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविधियों/अधिनियमों/शासनव्यवस्था/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।



विशेषतः इन कार्यवाही पत्राचारों की संख्याएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुप्रेषित प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त अंतरादेशिक संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित संस्था को कोई भी पत्र प्राप्त किया जाता है तब तबत तब के संबंध में या, आवश्यकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी कार्यवाही निरंत किया जाता है जो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ विशिष्टतः इन कार्यवाही पत्राचारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा कार्यवाही करने के लिए अर्थात् प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई.डी. से अनुप्रेषित प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अतः उक्त प्रवेश की (कार्यावाही के अन्तर्गत ही संस्था संस्था को या सीधे प्रवेश) अनुप्रेषित नहीं प्रेषण की जायेगी।
- ✓ उक्त प्रेषित संस्था द्वारा प्रेषित हेतु निरंत कार्यवाही आसक्त विधायी का अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि, भवन, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुझाव, आसक्त सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त आसक्त उपलब्ध करने के साथ विधि विधान के अन्तर्गत में संस्था आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/समाहित/प्राप्त/प्राप्त करने हेतु निरिष्कार/सुनिश्चित के अन्तर्गत उपलब्ध कराने पर अभिलेख, भूमि-भवन, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पत्राचार के अन्तर्गत में प्रेषण किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रेषण किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था किये जाने की अनुप्रेषण की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरिष्कार दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए.आई.पी.सी.आई.डी. पी.सी.आई.डी.परिषद के आसक्त/सुझाव उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता संस्था कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने आसक्त नहीं का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निरिष्कार/सुझाव अनुप्रेषण/सुझाव कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुं.सं. प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AUROUS INSTITUTE OF MANAGEMENT, LUCKNOW-FAIZABAD ROAD, KHASRA NO-180, VILL-MOHAMMADPUR CHOWKI POST-SAFEDABAD, BARABANKI-225003



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव